राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(6)उद्योग/ग्रुप–2/2025/06495 **जयपुर, दिनांक :**

अधिसूचना

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

1. प्रस्तावना :–

राज्य में युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :–

योजना का नाम "विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना" होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :–

योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण एवं सेवा आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी तथा ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (एच.यू.एफ/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

4. पात्रता की शर्तें :–

(i) आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होगी।

(ii) एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा।

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186

(iii) योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे।

(iv) एक व्यक्ति एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य जो किसी कम्पनी में डायरेक्टर है जिसके द्वारा योजना में लाभ लिया गया है और यदि वही व्यक्ति एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी अन्य कम्पनी में भी डायरेक्टर है तो अन्य दूसरी कम्पनी को योजना अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी।

निम्न योजना अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे :–

(v) लाभार्थी इकाई द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो तो ऐसी लाभार्थी इकाईयां लाभ प्राप्त मद में योजना अन्तर्गत पात्र नही होंगी।

(vi) ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो।

5. ऋणदात्री संस्थाएं :–

योजना अन्तर्गत निम्नांकित वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :–

(i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक।
(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
(iv) राजस्थान वित्त निगम।
(v) सिडबी।
(vi) अरबन कॉ–ऑपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार ऋण की तय सीमा पर वित्तीय संस्थानों द्वारा सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी तथा सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों को आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थान द्वारा Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजना से जोड़ा जा सकेगा। इसमें गारंटी फीस का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186

6. योजना क्रियान्वयन एजेन्सी :–

इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप :–

अनुच्छेद – 7(अ) ऋण सीमा :– वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। भूमि एवं भवन प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि भवन व भूमि हेतु, कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा। प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि आवेदक को स्वयं के अशंदान के रूप में लगानी होगी।

अनुच्छेद–7(ब) ऋण का स्वरूपः– ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण होगा। कार्यशील पूंजी ऋण सी.सी. लिमिट के रूप में ही पात्र होगा।

अनुच्छेद –7(स) कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम सीमा :– कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 30 प्रतिशत कार्यशील पूंजी की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही योजनान्तर्गत पात्र होंगें।

अनुच्छेद–7(द) : विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिए गए सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।

अनुच्छेद –7(य) : योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। इसके पश्चात् वित्तीय संस्थान के स्तर से ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।

अनुच्छेद –7(र) विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण :–

पूर्व संचालित उद्यम द्वारा विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित निवेश के मदों हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर उद्यम हेतु विनियोजित किया जाना ही विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण माना जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186

अनुच्छेद –7(ल) अनुदान संबंधी प्रावधान :–

(i) ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदानः– योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 2 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण को समय पर चुकाने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा :–

क.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	1 करोड़ रू. तक	8%
2	1 करोड़ रू. से अधिक एवं 02 करोड़ रू. तक	7%

महिला, एससी/एसटी, दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, भारत सरकार या जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकरों तथा हस्तशिल्पी/दस्तकार/शिल्पी कार्ड धारक शिल्पियों को 1 करोड़ रू. से अधिक एवं 02 करोड़ रू. तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।

वित्तीय संस्थान की ऋण पर ब्याज दर उपरोक्त दर के बराबर या उससे कम है, तो शत–प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

(ii) मार्जिन मनी अनुदानः–

योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25 प्रतिशत अथवा पांच लाख रुपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी। वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण भुगतान किये जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान द्वारा राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूल किया जायेगा।

प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरांत 3 वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफॉल्टर नहीं होने पर विभागीय जाँच उपरांत मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। उद्यमी द्वारा 3 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186

8. ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट :–

वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की समयावधि अधिकतम 7 वर्ष तक होगी। योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि उद्यम के उत्पादन/संचालन के प्रारंभ से 5 वर्ष होगी। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देय होगा। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का Moratorium Period हो सकेगा, जो उद्यम की प्रकृति/लाभप्रदता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जायेगा। Moratorium Period में ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

9. आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन :–

i. योजना अन्तर्गत आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी हेतु एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) का गठन किया जायेगा। DLTFC की अभिशंषा पश्चात् ही आवेदन पत्र वित्तीय संस्थान को अग्रेषित किये जा सकेंगे। वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्य मों को सीधे स्वीकृत ऋण प्रकरण योजना में लाभ हेतु पात्र नही होंगे।

ii. वित्तीय संस्थान/बैंक परिवर्तन (Loan Takeover) जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) के अनुमोदन एवं आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य की अनुमति के पश्चात् केवल एक बार किया जा सकेगा, जिसकी प्रक्रिया योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार होगी।

iii. योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन पॉर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिए प्रत्येक जिला उद्य ोग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा प्रयास किये जावेंगे।

10. निर्बन्धन एवं शर्तें :–

(i) योजना अन्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ii) योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता, उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री वित्तीय संस्थान द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना के कार्यरत होने का उल्लेख करना होगा। अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक के प्रमाणन/मान्यकरण पश्चात् किया जा सकेगा।

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186

(iii) ऋण खाता NPA (गैर निष्पादन आस्तियाँ) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालान्तर में नियमित कर दिये जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान एवं अन्य परिलाभ देय होंगे, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्यधीन होगा।

(iv) अपात्र इकाई द्वारा योजना में लाभ लिए जाने पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा जिसके आधार पर भुगतान की गई अनुदान राशि मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगी।

(v) योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान का लाभ उद्यम के उत्पादन/संचालन प्रारंभ करने के पश्चात् ही देय होगा।

11. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :–

योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियॉं अपात्र होगी :–

(i) मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।

(ii) विस्फोटक पदार्थ।

(iii) वाणिज्यिक परिवहन वाहन, जिसकी ऑन–रोड कीमत 15 लाख रु. से अधिक हो।

(iv) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियॉं।

(v) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन सहित)

(vi) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां।

(vii) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।

12. अपीलः–

जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) के किसी भी निर्णय के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को अपील की जा सकेगी एवं आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य का निर्णय अंतिम होगा।

13. योजना का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–2) विभाग सक्षम होगा। योजना के सुचारु संचालन हेतु प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे। इस यो[illegible]

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

व्याख्या, मार्गदर्शन, योजना क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के अधिकार आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान में निहित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महिपाल कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य ।
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना की प्रति से संबंधितों को अवगत कराने का श्रम करावें।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर, (समस्त), राजस्थान।
13. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
14. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान, जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, (समस्त)।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:13:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17503186